

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2017—भाद्र 2, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र. 13943-193-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 अगस्त 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २५ सन् २०१७

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक १८ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ अगस्त, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में,—

(एक) अनुक्रमांक २ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

| अनु- क्रमांक (१) | निजी विश्वविद्यालय का नाम (२) | प्रायोजी निकाय का नाम (३) | प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४) | मुख्य परिसर (५) | अधिकारिता (६) |
|------------------------|--|--|--|--|-------------------------|
| "२. | रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय | आल इण्डिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी | मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी | रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, ग्राम मेंदुआ, भोपाल- चिकलौद रोड, तहसील-गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश" |

(दो) अनुक्रमांक २२ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों (डी. सी. विश्वविद्यालय, इन्दौर के संबंध में) का लोप किया जाए;

(तीन) अनुक्रमांक २४ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

| अनु- क्रमांक (१) | निजी विश्वविद्यालय का नाम (२) | प्रायोजी निकाय का नाम (३) | प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४) | मुख्य परिसर (५) | अधिकारिता (६) |
|------------------------|---|--|---|---|------------------------|
| "२५. | वी आई टी भोपाल विश्वविद्यालय, सीहोर | वी आई टी ट्रस्ट, २६ मूसा स्ट्रीट, टी. नगर, चैन्नई, तमिलनाडु | २०-१२-२०१२ को निष्पादित ट्रस्ट विलेख के अधीन सृजित तथा टी. नगर, चैन्नई, तमिलनाडु में क्रमांक ६५४/२०१२ के रूप में रजिस्ट्रीकृत वी आई टी ट्रस्ट | वी आई टी भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल- इन्दौर राष्ट्रीय राजमार्ग, कोठरी कलां, सीहोर— ४६६११४ | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश |

| (१) | (२) | (३) | (४) | (५) | (६) |
|-----|---------------------------------|---|--|--|------------------------|
| २६. | सेज विश्वविद्यालय, इन्दौर | टूबा एजुकेशन सोसाइटी, २५०, सागर प्लाजा, जोन-२, एम.पी. नगर, भोपाल | मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी | सेज विश्वविद्यालय, कैलोद करताल, इन्दौर-देवास बायपास, राऊ, इन्दौर | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश |
| २७. | रैनेसा विश्वविद्यालय, इन्दौर | कौटिल्य चन्द्रगुप्त एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम रिओती, सांवेर रोड, श्री अरविन्दो हास्पिटल के पीछे, इन्दौर | मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी | रैनेसा विश्वविद्यालय, ग्राम रिओती, सांवेर रोड, श्री अरविन्दो हास्पिटल के पीछे इन्दौर | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश |

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक ४ सन् २०१७) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र.-13943-193-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 25 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 25 of 2017

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM
SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017**

[Received the assent of the Governor on the 18th August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 24th August, 2017].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhinyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhinyam, 2017. **Short title.**

Amendment of Schedule. 2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007),—

- (i) for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

| S. No. | Name of Private University | Name of sponsoring body | Mode of forming sponsoring body | Main campus | Jurisdiction |
|--------|--------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| "2. | Rabindranath Tagore University | All India Society for Electronics and Computer Technology. | Registered society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973) | Rabindranath Tagore University, Village Mendua, Bhopal-Chiklod Road, Tehsil Goharganj, District Raisen (M.P.) | Whole of Madhya Pradesh"; |

- (ii) serial number 22 and entries relating thereto (regarding D. C. University, Indore) shall be omitted;

- (iii) after serial number 24 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

| S. No. | Name of Private University | Name of sponsoring body | Mode of forming sponsoring body | Main campus | Jurisdiction |
|--------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| "25. | VIT Bhopal University, Sehore | VIT Trust, 26 Moosa Street, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu. | VIT Trust created under the Trust Deed executed on 20-12-2012 and registered as No. 654/2012 at T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu. | VIT Bhopal University, Bhopal-Indore National Highway, Kothri Kalan, Sehore 466114 | Whole of Madhya Pradesh. |
| 26. | Sage University, Indore. | Truba Education Society, 250 Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal. | Registered society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973). | Sage University, Kailod Kartal, Indore-Dewas Bypass, Rau, Indore. | Whole of Madhya Pradesh. |
| 27. | Renaissance University, Indore. | Kautilya Chandragupt Education Society, Gram Reoti, Sanwer Road, Behind Sri Aurobindo Hospital, Indore | Registered society under the Madhya Pradesh Society Registrikaran, Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973). | Renaissance University Gram Reoti, Sanwer Road, Behind Sri Aurobindo Hospital, Indore. | Whole of Madhya Pradesh". |

Repeal and saving. 3. (1) The Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhyadesh, 2017 (No. 4 of 2017) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.